न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट बीजवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 132 / 18 निर्णय दिनांक : 05.06.2018

उनवान

1. अमरीकसिंह पुत्र सन्तोक सिंह जाति जटसिख निवासी बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. बुद्धु पुत्र चाहत जाति मेव निवासी ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

........................असल प्रतिवादी

2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ तहसील रामगढ।

....................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.11, 1068 रकबा 0.32 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी से लगती हुई प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.33 हैक्ट0 है जिसकी आड में प्रतिवादी आये दिन वादी की विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने व जबरन निर्माण कार्य करने को उतारू हो जाता है वादी ने कई बार प्रतिवादी से पैमाईश कराने बाबत कहा तो वह टालबाल करता रहा है। विवादित आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और वादी के अलावा अन्य किसी दीगर शख्स का या प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि वोह आराजी हाल खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.11, 1068 रकबा 0.32 व 1163 रकबा 0.33 हैक्ट0 वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है पर बिना पैमाईश कराये कोई निर्माण कार्य न करे व वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीजवा में दिनांक 05.06.2018 को पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर इस प्रकार का राजीनामा कर निवेदन किया कि हमारी विवादित आराजी की पैमाईश करा दी जावे। हम दोनों पक्ष एक दूसरे की आराजी में मजाहमत नही करेंगे। अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीजवा में दिनांक 05.06.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभयपक्षकार द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के मध्य आपसी सहमती के मुताबिक वाद स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वाद वादी इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि 1064 रकबा 0.11, 1068 रकबा 0.32 व 1163 रकबा 0.33 हैक्ट0 वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर की वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में नियमानुसार पैमाईश कराना सुनिश्चित करें। बाद पैमाईश वादी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावें। इसी प्रकार [illegible] पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बीजवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट बीजवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 132 / 18 निर्णय दिनांक : 05.06.2018

उनवान

1. अमरीकसिंह पुत्र सन्तोक सिंह जाति जटसिख निवासी बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. बुद्धु पुत्र चाहत जाति मेव निवासी ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.......................असल प्रतिवादी

2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ तहसील रामगढ।

....................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वाद वादी इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि 1064 रकबा 0.11, 1068 रकबा 0.32 व 1163 रक़बा 0.33 हैक्ट0 वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर की वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में नियमानुसार पैमाईश कराना सुनिश्चित करें। बाद पैमाईश वादी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)